

न्यायालय : विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण, संख्या 01, भीलवाड़ा  
क्रमांक / 2021 / 1189 दिनांक :- 09.06.2021

**--: नोटिस :-**


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 11/पी.आई./2021 दिनांक 07.06.2021 के निर्देशानुसार दिनांक 28.06.2021 तक अत्यावश्यक प्रकृति के मामले यथा जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड मामले, व्यादेश/स्थगन प्रार्थना पत्र, सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र, धारा 164 द.प्र.सं. कथन, मृत्यु कालीन कथन आदि की सुनवाई ही की जायेगी। अन्य ऐसे मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हैं उनको स्थगित कर, कॉमन डेट दी जाकर न्यायक्षेत्र की वेबसाइट पर प्रकाशित कर यथासंभव सी.आई.एस. अद्यतन करना है।

अत्यावश्यक प्रकृति के मामले भी माइक्रोसॉफ्ट टीमस या अन्य उपयुक्त संचार साधन के माध्यम से सुनवाई हेतु लिये जायेंगे। किसी भी मामले में पक्षकारान/अभिभाषकगण की व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होना है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरारण में दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 28.06.2021 तक सुनवाई हेतु नियत सभी मामलों में निम्न तालिका के अनुसार आगामी कॉमन डेट नियत की जाती है :-

क्र.सं.	पेशी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा में होने के प्रकरणों की आगामी नियत दिनांक	अन्य समस्त पत्रावलियों में आगामी नियत दिनांक
1	09.06.2021	23.06.2021	15.07.2021
2	10.06.2021	24.06.2021	16.07.2021
3	11.06.2021	25.06.2021	17.07.2021
4	14.06.2021	28.06.2021	19.07.2021
5	15.06.2021	29.06.2021	20.07.2021
6	16.06.2021	30.06.2021	22.07.2021
7	17.06.2021	01.07.2021	23.07.2021
8	18.06.2021	02.07.2021	26.07.2021
9	19.06.2021	03.07.2021	27.07.2021
10	21.06.2021	05.07.2021	28.07.2021
11	22.06.2021	06.07.2021	29.07.2021
12	23.06.2021	07.07.2021	30.07.2021
13	24.06.2021	08.07.2021	31.07.2021
14	25.06.2021	09.07.2021	02.08.2021
15	28.06.2021	12.07.2021	03.08.2021


नोट :- (प्र.सं. 2124/19 शिखा/भंवर, 790/2015 अशाफाक/अब्दुल जब्बार, 785/15 अशाफाक/इशाक व 2207/17 नरेन्द्र/राधेश्याम दिनांक 30.06.2021 हेतु नियत किये गये हैं।)

  
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एन.आई. एक्ट प्रकरण,  
संख्या 01, भीलवाड़ा,  
दिनांक 09.06.2021

क्रमांक / 2021 / 1192

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा।
2. नोटिस बोर्ड।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
एन.आई. एक्ट प्रकरण,  
संख्या 01, भीलवाड़ा,  
भीलवाड़ा (राज.)